राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास – अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 08/2024 दायर दिनांक 23.01.2024

अनवान्

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.........वादी

बनाम्

राजकुमार पुत्र मूलचन्द जाति डांगी निवासी माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

........प्रतिवादी

उपस्थित :– 01. पैरोकार तहसीलदार।

02. श्री मुकेश धाकड़ – अधिवक्ता प्रतिवादी

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

–: निर्णय :–

दिनांक :– 13 /11 /2025

संक्षेप में वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने वादपत्र अर्न्तगत **धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गुढ़ा पटवार मण्डल गुढ़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 196/2 रकबा 0.5423 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय भूमि प्रतिवादी के नाम राजस्व रेकॉर्ड में खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड हैं। उक्त वर्णित आराजी नम्बर 196/2 रकबा 0.5423 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय भूमि में खातेदार की मौके पर काश्त नहीं हैं। उक्त वर्णित आराजीयात पर प्रतिवादी को मात्र कृषि कार्य हेतु खातेदारी अधिकार प्रदत्त था। प्रतिवादी द्वारा भूमि पर कृषि कार्य नही किया जाकर प्रतिवादी ने खातेदारी अधिकार की शर्तो की पालना नहीं कर आराजी नम्बर 196/2 रकबा 0.5423 हैक्टेयर भूमि पर खातेदार द्वारा अवैध खनन किया हुआ होकर पानी भरा हुआ हैं।

अतः प्रतिवादी को उक्त ग्राम गुढ़ा पटवार मण्डल गुढ़ा स्थित आराजी नम्बर 196/2 रकबा 0.5423 हैक्टेयर भूमि से बेदखल किया जाकर उक्त वर्णित आराजीयात को बिलानाम सरकार दर्ज करना फरमावें।

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया। विपक्षी को रजिस्टर्ड एडी से तामील करवाई गई। जो शामील पत्रावली हैं। विपक्षी की ओर से अधिवक्ता मुकेश कुमार धाकड़ ने अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली हैं।

अधिवक्ता प्रतिवादी श्री मुकेश कुमार धाकड़ ने प्रस्तुत वादपत्र का दिनांक 23.01.2025 को जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली हैं।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने जवाब में अंकित किया कि वादपत्र की कलम नम्बर 1 स्वीकार होकर मौजा ग्राम गुढ़ा पटवार हल्का गुढ़ा में आराजी नम्बर 196/2 रकबा 0.5423 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी के नाम होना स्वीकार है। वाद पत्र की कलम नम्बर 2 गलत होकर अस्वीकार है। प्रतिवादी द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र के क्रय की गई, प्रतिवादी की उक्त भूमि नाले के पास स्थित होने से बरसात के दिनो मे नाले में उफान आने एंव तेज बहाव के कारण उक्त भूमि के किनारे की मिट्टी बहकर पानी के साथ बह जाती है एवं उक्त स्थान पर पानी का भराव हो जाता है इस कारण मिट्टी का कटाव होने से स्वरुप परिवर्तन हुआ हैं प्रतिवादी ने उक्त भूमि पर किसी प्रकार से मिट्टी जड़ाई या अवैध खनन नही किया है मौके पर्चे में इस बात का कही स्पष्ट उल्लेख नही हैं कि किस प्रकार का अवैध खनन हो रहा हैं क्योंकि मौका पर्चा मनगढंत रुप से गलत कायम किया गया है। मौके पर्चे मे पटवार हल्का द्वारा उक्त भूमि मे अवैध खनन होने का तथ्य अंकित किया है जो सरासर गलत हैं। मौके पर्चे में अवैध खनन के कोई आलामात मौके पर मिले हो या किसी प्रकार की मशीनरी या कटा पत्थर मौके पर मिला हो ऐसा कोई तथ्य अंकित नही है। मौका पर्चा मनगढंत एंव गलत कायम किया गया है। वादपत्र की कलम नम्बर 3 में अंकित भूमि प्रतिवादी द्वारा क्रय की हुई हैं प्रतिवादी उक्त मौजा ग्राम से काफी दूर निवास करता हैं इस कारण उसके द्वारा उक्त भूमि को उपयोग उपभोग काबिल एंव काश्त हेतु अनुकूल व्यवस्थाओं को तैयार किया जा रहा हैं। पटवार हल्का गुढ़ा द्वारा जो मौका पर्चा कायम किया गया वह प्रतिवादी की गैर मौजुदगी में मनमाफिक तरीके से बनाया गया है। प्रतिवादी द्वारा किसी भी प्रकार से खातेदारी शर्तो की अवहेलना नहीं की है। सम्बंधित राजस्व कर्मियो द्वारा कायम किया गया मौका पर्चा मनगढंत गलत एवं निराधार होकर बेबुनियाद है। उक्त मौका पर्चा राजस्वकर्मियो द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो की पालना किये बिना, प्रतिवादी को बिना सुनवाई का अवसर दिये, प्रतिवादी की अनुपस्थिति मे कायम किया गया हैं जो काबिल खारिजी के है। वादपत्र की कलम नम्बर 4 अस्वीकार है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि पर कोई अवैध खनन कार्य नही किया गया हैं भूमि नाले के पास स्थित होने से मिट्टी का कटाव होने से उक्त स्थान पर पानी का भराव हुआ है। प्रतिवादी द्वारा प्रतिवादी की उक्त खातेदारी भूमि को उपयोग काबिल बनाने के हर संभव प्रयास कर उक्त भूमि को उन्नत आबाद कर लिया जायेगा। प्रतिवादी द्वारा खातेदारी अधिकारो की शर्तो की अवहेलना नही की गई है। मौका पर्चा मन माफिक बिना कोई जांच किये, बिना प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर दिये, प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति मे मन माफिक रुप से कायम किया गया है जो काबिज निरस्ती के है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि पर कोई अवैध खनन नही किया गया है। वादपत्र की कलम नम्बर 5, 6, 7 कानुनी होने से जिसकी आवश्यकता नहीं है। अधिवक्ता प्रतिवादी ने विशेष–कथन में अंकित किया कि मौका पर्चा जिसके आधार पर धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत

लगातार पेज संख्या 03 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है उक्त मौका पर्चा जवाबदाता प्रतिवादी को बिना सुनवाई का अवसर दिये, प्रतिवादी जवाबदाता की अनुपस्थिति में, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो की अवहेलना कर कायम किया गया है। प्रतिवादी द्वारा खातेदारी अधिकारो की शर्तो की कोई अवहेलना नही की गई है। प्रतिवादी द्वारा अपने जवाबदावे मे अंकित तथ्यो की पुष्टि के लिये मौके की स्थिति की प्रतिवादी की उपस्थिति मे पुनः रिपोर्ट मंगवाई जाना प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण के लिये आवश्यक एवं न्यायसंगत है। प्रतिवादी धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के तहत खातेदार काश्तकार के हित मे न्यायालय द्वारा निर्धारित समयावधि दी जाकर खातेदारी अधिकारों की रक्षा हेतु दिये गये निर्देशो की पालना करने को भी तैयार है। धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत यह वाद–पत्र चलने योग्य नहीं है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण खारिज फरमाया जावे।

उक्त प्रकरण में निम्नांकित तनकीयात कायम की गयी।

तनकी नम्बर 1 :– आया वादग्रस्त भूमि पर मौके पर फसल काश्त नहीं हैं।

.... जिम्मे वादी

तनकी नम्बर 2 :– आया वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी द्वारा कृषि कार्य नहीं कर मौके पर अवैध खनन किया होकर पानी भरा हुआ हैं।

.... जिम्मे वादी

तनकी नम्बर 3 :– आया वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी द्वारा खातेदारी अधिकार की शर्तो की पालना नही की हैं।

.... जिम्मे वादी

तनकी नम्बर 4 :– आया वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी ने किसी प्रकार की मिट्टी जड़ाई या अवैध खनन नहीं किया हैं

.... जिम्मे प्रतिवादी

तनकी नम्बर 5 :– पर्चा मौका मनगढन्त रूप से गलत कायम किया हैं।

.... जिम्मे प्रतिवादी

तनकी नम्बर 6 :– आया वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी द्वारा खातेदारी अधिकारों की शर्तों की अवहेलना नहीं की हैं।

.... जिम्मे प्रतिवादी

वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में मौका पर्चा ग्राम गुढ़ा का प्रस्तुत किया जो प्रदर्श–1 हैं, नक्शा ट्रेस ग्राम गुढ़ा का पेश किया जो प्रदर्श–2 हैं, भू–नक्शा ग्राम गुढ़ा का पेश किया जो प्रदर्श–3 हैं, जीपीएस मेप केमरा ग्राम गुढ़ा का पेश किया जो प्रदर्श–4 हैं, 3 डी गूगल मेप ग्राम गुढ़ा का पेश किया जो प्रदर्श–5 हैं, पटवारी हल्का गुढा का तहसीलदार बिजौलियां को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पेश किया जो प्रदर्श–6 हैं की प्रतियां प्रस्तुत की हैं।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 04 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

प्रकरण में वादी ने पी–डब्ल्यू– 1 सुनीता कुमारी पिता मन्नाराम बलाई पटवारी प०ह० गुढा के बयान कराये जाकर शामिल पत्रावली हैं।

पी–डब्ल्यू–1 सुनीता कुमारी पिता मन्नाराम बलाई पटवारी प०ह० गुढा ने अपने बयान में लिखाया कि ग्राम गुढ़ा प०ह० गुढ़ा स्थित आराजी नम्बर 196/2 रकबा 0.5423 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय भूमि राजकुमार पुत्र मूलचन्द जाति डांगी निवासी माण्डलगढ़ के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड हैं। उक्त आराजी पर दिनांक 19.01.2024 को गिरदावर सा० के साथ पहुंचकर मौका पर्चा बनाया। उक्त आराजी पर अवैध खनन होकर मौंके पर पानी भरा हुआ पाया। इस प्रकार उक्त आराजी का कृषि उपयोग नहीं होकर अन्य प्रयोजन होने से एवं खातेदार सद्भावी कृषक नहीं होने से तथा खातेदार के पास विभागीय स्वीकृती नहीं होने से खातेदारी निरस्त करने हेतु मौका पर्चा बनाया। जो उक्तानुसार प्रदर्श होकर उस पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

जिरह – उक्त आराजी का निरीक्षण दिनांक 19.01.2024 को किया। इसी दिन अन्य आराजीयात का मौका भी देखा। उक्त निरीक्षण के दौरान मेरे व गिरदरावर के अलावा अन्य कोई स्वतंत्र व्यक्ति मौके पर उपस्थित नहीं था। वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार को मौके पर उपस्थित होने के लिए सूचना नहीं दी गयी। वादग्रस्त आराजीयात का जरीब से नाम चौप नहीं किया। मौके पर कोई व्यक्ति अवैध खनन करता हुआ नहीं पाया गया। नहीं किसी प्रकार की मशीनरी व कटा हुआ माल मौके पर पाया गया। वादग्रस्त आराजीयात के पास नदी निकल रही हैं। वादगग्रस्त आराजीयात में खड्डा होकर पानी भरा हुआ हैं। उक्त खड्डे की लम्बाई चौड़ाई एवं गहराई मौका पर्चा मे नहीं हैं। उक्त आराजी में खड्डा कैसे हुआ मुझे मालूम नहीं हैं। उक्त खड्डे के अलावा साईडों की जमीन समतल हैं। खातेदार उक्त जमीन से लगभग 50 कि.मी. दूर रहता हैं। मैने कभी भी वादग्रस्त आराजी के खातेदार को अवैध खनन व मिट्टी जड़ाई करते हुये नहीं देखा हैं।

उक्त प्रकरण में अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी में DW-1 राजकुमार पिता मूलचन्द जाति डांगी उम्र वयस्क पेशा व्यापार निवासी माण्डलगढ के बयान कराये गये जो शामिल पत्रावली हैं।

साक्ष्य प्रतिवादी में DW-1 राजकुमार पिता मूलचन्द जाति डांगी निवासी माण्डलगढ़ ने अपने बयान में लिखाया कि गुढ़ा से मेरे निवास स्थान की दूरी करीब

लगातार पेज संख्या 05 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

करता हुआ नहीं पाया गया। न ही किसी प्रकार की मशीनरी व कटा हुआ माल मौके पर पाया गया। वादग्रस्त आराजीयात के पास नदी निकल रही हैं। वादगग्रस्त आराजीयात में खड्डा होकर पानी भरा हुआ हैं। उक्त खड्डे की लम्बाई चौड़ाई एवं गहराई मौका पर्चा मे नहीं हैं। उक्त खड्डे के अलावा साईडों की जमीन समतल वादग्रस्त आराजी के खातेदार को अवैध खनन व मिट्‌टी जड़ाई करते हुये भी नहीं देखा गया। प्रतिवादी सद्‌भावी क्रेता हैं। उक्त वाद में केवल परत खुदी हुई हैं नाले से कटाव हुआ हो तथा नाप चौप एवं पैमाईश नहीं हैं। पत्रावली पर आई साक्ष्य एवं दस्तावेजों के आधार पर वादी अपने वाद को साबित करने में पूर्ण रूप से असफल रहा हैं। उक्त वादपत्र खारीज किये जाने योग्य हैं।

–: आदेश :–

अतः मौजा ग्राम गुढ़ा पटवार मण्डल गुढ़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा स्थित आराजी नम्बर 196/2 रकबा 0.5423 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय भूमि के सम्बन्ध में वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र **अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** अस्वीकार किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 13/11/2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा